11.04.2022:—आज यह पत्रावली पेशी मे आई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। तहसील से प्राप्प सम्मन प्राप्त हुए जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण की सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना—पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किये कि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 9 नियम 9 सी.सी.सी. स्वीकार कर मूल वादपत्र को पुनः वाजिब नम्बर पर लेने के आदेश फरमाये जावे। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना—पत्र स्वीार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना—पत्र अर्न्तगत आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। पत्रावली का प्रार्थना—पत्र दाखिल दफ्तर हो। उक्त पत्रावली मूल वादपत्र के साथ संलग्न की जावे।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Avi Garg
Date: 2022.12.13 11:04:09 IST
Reason: SelfAttested

Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner